HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. 3rd Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1222/2026
CNR: RJHC020475742026 | URN: SOSA / 2266U / 2026

Mukesh Kumar S/o Shri Sheeshpal, Aged About 31 Years, R/o Chandwa Police Station Bisau District Jhunjhunu (At Present Confined In Central Jail Bikaner)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vinay Pal Yadav, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

06/08/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. अभियुक्त को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अन्य अपराधों के साथ–साथ धारा 376डी भा.दं.स के आरोप में दोषसिद्ध करार देते हुए अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000/– रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियुक्त का पूर्व में सजा स्थगन आवेदन दिनांक 21.04.2025 को खारिज किया गया था, तत्समय अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि छः माह हुई थी।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी का निवेदन है कि सह–अभियुक्त को इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा 1 वर्ष 9 माह की अभिरक्षा अवधि को देखते हुए दण्डादेश स्थगित किया गया है, वर्तमान अभियुक्त–प्रार्थी की भी लगभग उतनी अभिरक्षा अवधि हो चुकी है, अतः समानता के आधार पर अभियुक्त का

सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया एवं समस्त तथ्यों पर विचार किया गया।

6. हस्तगत मामले में अभियुक्त–प्रार्थी घटना के उपरान्त करीब चार वर्ष तक पुलिस गिरफ्त से दूर रहा तथा धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान लंबित रखा गया। अभियुक्त का विचारण सह–अभियुक्त से पृथक किया गया, अभियुक्त के विरूद्ध विचारण के दौरान जो सामग्री आयी, उसको विचार में लेने के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया है। गुण–दोषों पर सुसंगत परिस्थितियों को विचार में लेने के उपरान्त पूर्व में सजा स्थगन आवेदन खारिज किया गया है, दोषसिद्ध 20 वर्ष की सजा के मुकाबले अभियुक्त द्वारा करीब दो वर्ष की सजा भुगती गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर अपराध का आरोप है।

7. अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, उसकी विश्वसनीयता, अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना यह सजा स्थगन आवेदन/जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. परिणामतः यह तृतीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

5/Mittal